न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–168/2023

ननकु मियां.....वादी

बनाम

हबीब मियां एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.08.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.01.2025 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 उपनियम 02 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी ननकु मियां अपने पीछे एक पुत्र मसिहा अंसारी एवं तीन पुत्री हाजरा खातून, जोहरा खातून एवं फातमा खातून को छोड़कर दिनांक 05.12.2024 को स्वर्गवासी हो गये। वादी ननकु मियां के स्वर्गवासी होने के पश्चात् उनके विधिक वारिशान इस वाद के आवश्यक पक्षकार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तुत वाद के आवेदकगण मसीहा अंसारी, पिता–स्व0 ननकु मियां, साकिन–भेडिहरवा टोला हिंगलहर, डाकघर–भेडिहरवा, थाना–साठी, अंचल–नरकटियागंज, जिला–प0 चम्पारण, हाजरा खातून, पिता–स्व0 ननकु मियाँ, पति–जकिक अंसारी, साकिन–धर्मपुर, थाना–साठी, डाकघर–धर्मपरु, जिला–प0 चम्पारण, जोहरा खातून, पिता–स्व0 ननकु मियां, पति–शमीम अंसारी, साकिन–साठी, थाना–साठी, डाकघर–साठी, जिला– प0 चम्पारण, फातमा खातून, पिता–स्व0 ननकु मियां, पति–शकिल अंसारी, साकिन–तेलपुर सिरिसिया, थाना–मटियरिया सनबरसा, डाकघर–शेरवा मस्जिदवा, जिला– प0 चम्पारण को पक्षकार बनाने की कृपा करे। प्रतिवादीगण के द्वारा आवेदकगण के आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन आवेदन का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–168/2023

ननकु मियां.....वादी

बनाम

हबीब मियां एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.08.2025	कि आवेदकगण, वाद के वादी ननकु मियां के वारिसान है। प्रस्तुत वाद के वादी ननकु मियां की मृत्यु दिनांक 05.12.2024 को हो गई है। लेहाजा आवेदकगण वादी पक्षकार बनकर वाद में संघर्ष करना चाहते है। आवेदन में वर्णित व्यक्ति वाद के आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन **"Mumbai International airpot PVT. Ltd. V/s Regency Convention center & hotel & ors AIR 2010 SCC 4222."** के आलोक में आवश्यक पक्षकार उन्हें कहा गया है जिनके अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा उचित डिक्री पारित करना न्याय संगत नही होता है एवं यह भी कहा गया है कि यदि आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार के रूप में नही जोडा जाता है तो वाद स्वतः खारिज होने योग्य होगा। अतः ऐसी स्थिति में वाद के उचित न्याय निर्णयन के मद्देनजर आवेदन में वर्णित व्यक्ति प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार होना न्यायोचित प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में आवेदकगण का आवेदन दिनांक 30.01.2025 स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को वादी कॉलम में क्रमानुसार पक्षकार बनावें। दिनांक 13.10.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	